an>

Title: Need to give relief to the opium growing farmers.

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने किसानों से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं चित्तौड़गढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अफीम किसानों के बारे में कहना चाहता हूँ। इस देश में 1857 अफीम अधिनियम के तहत यह खेती कृषि मंत्रालय के अधीन न होकर वित्त मंत्रालय के अधीन होती है। ओलावृष्टि और अन्य कारणों से जो अफीम के किसान बर्बाद हुए, मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि उन किसानों को राहत देते हुए औसत व्यय और अन्य जिन कारणों से भी अफीम के लाइसेंस निरस्त हुए हैं, उनको फिर से बहाल किया जाए। पूर्ववर्ती सरकार ने, तत्कालीन वित्त मंत्री ने जो अमेरिका को अफीम हम लोग साढ़े तीन सौ टन बेचते थे, वह सौदा किसी कारणवश कैंसल हो गया। आज हमारे पास एक ही रास्ता है उन किसानों को आगे बढ़ाने के लिए और आगे करने के लिए कि गाजीपुर और नीमच में जो दो फैक्टियां बनी हैं, उनका रेनोवेशन किया जाए, उनकी क्षमता बढ़ाई जाए। आज भी हम इस देश में डोडा चूरा इंपोर्ट करते हैं, वह खत्म होकर हमारे किसान को सम्बल मिले और उन फैक्टियों का रेनोवेशन करके उन किसानों को सक्षम करने का काम किया जाए। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। राजस्थान में पिछले वर्ष भी ओलावृष्टि के कारण किसानों को नुकसान हुआ है। इस बार भी सूखे के कारण कई किसानों को नुकसान हुआ है। अभी सरकार ने वहाँ एक सर्वे रिपोर्ट भेजी है। मेरा फिर से आग्रह है कि केन्द्र सरकार ने पिछली बार जो मदद की, इस बार भी सहानुभूति रखते हुए उन किसानों को संबल दें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र शेखावत, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सी.आर.चौधरी तथा डॉ. मनोज राजोरिया को श्री सी.पी.जोशी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।